

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-1)

एफ : 2(3)ग्रावि/गुप-1/06

जयपुर, दिनांक 11.6.2015

-:आदेश:-

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में 7 जिले यथा अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली एवं उदयपुर में प्रशासनिक अनुमत व्यय से अधिक व्यय हुआ है। उपरोक्त जिलों में प्रशासनिक व्यय को कम किये जाने हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्तमान में पदस्थापित दो अभियन्ताओं में से एक अधिशाषी अभियन्ता को नरेगा योजनान्तर्गत अन्य जिलों में निम्नांकित अधिशाषी अभियन्ताओं का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक/राजहित में तत्काल किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विशेष विवरण
1.	श्री राकेश गुप्ता	अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद, अलवर	अधिशाषी अभियन्ता (जल ग्रहण) थानागाजी, अलवर	रिक्त पद पर
2.	श्री आई.जे.निमेश	अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद, भीलवाड़ा	अधिशाषी अभियन्ता (अभियांत्रिकी) जिला परिषद, बून्दी	रिक्त पद पर
3.	श्री बी.एल.गुप्ता	अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद, जयपुर	अधिशाषी अभियन्ता (अभियांत्रिकी) जिला परिषद, करौली	रिक्त पद पर
4.	श्री संदीप माथुर	अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद, जोधपुर	अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद, हनुमानगढ़	रिक्त पद पर
5.	श्री अशोक गुप्ता	अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद, नागौर	अधिशाषी अभियन्ता (अभियांत्रिकी) जिला परिषद, नागौर	रिक्त पद पर
6.	श्री महेश नारायण मूथा	अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद, पाली	अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद, जैसलमेर	रिक्त पद पर
7.	श्री अनिल आचार्य	अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद, उदयपुर	अधिशाषी अभियन्ता (जल ग्रहण) राजसमन्द	रिक्त पद पर

उपरोक्त अधिकारियों को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण योगकाल अवकाश देय होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(उज्ज्वल राठौड़)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
6. जिला कलक्टर, अलवर, भीलवाड़ा, बून्दी, जयपुर, करौली, जोधपुर, हनुमानगढ़, नागौर, पाली, जैसलमेर, उदयपुर एवं राजसमन्द ।
7. निदेशक, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर, भीलवाड़ा, बून्दी, जयपुर, करौली, जोधपुर, हनुमानगढ़, नागौर, पाली, जैसलमेर, उदयपुर एवं राजसमन्द को लेख है कि सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त कर विभाग को सूचित करे।
9. संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट विभाग को तत्काल भिजवावें।
10. प्रोग्रामर, ग्रा.वि.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।


परियोजना अधिकारी(प्रशासन)